

अध्याय : 16 कचरा -संग्रहण एवं निपटान

- एक कदम स्वच्छता की ओर भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया।
- हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है।
- **भराव** :- वह स्थान है, जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है।
- **कम्पोस्टिंग** :- रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कम्पोस्टिंग कहलाता है।
- **वर्मिकम्पोस्टिंग** :- रसोई घर के कचरे को कृमी अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मिकम्पोस्टिंग कहलाता है।
- **अपशिष्ट** :- अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है, जो रोज कारखानों, ऑफिस, घरों, एवं अन्य इमारतों की साफ-सफाई के बाद एकत्रित होता है, तथा जिसे हम कचरापात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं।
- **पुनर्चक्रण** :- कचरे को कुछ नए रूप के सामग्री में बदलना। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, और धातु जैसे ऐत्यूमीनियम और स्टील सभी का आम तौर पर पुनर्नवीनीकरण या पुनर्चक्रण किये जा सकते हैं।
- **रीसाइकिंग** पृथ्वी को बचाता है – एक उत्पाद का पुनर्नवीनीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
- **पुनर्चक्रण ऊर्जा बचाता है** – सामग्री से एक नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रीसाइकिंग करने से कम ऊर्जा खर्च होती है।
- पुनर्चक्रण कागज **प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण**, ऊर्जा की बचत होती है, कम कर देता है **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन**, और रहता है लैंडफिल अंतरिक्ष कचरा के अन्य प्रकार है कि **पुनर्नवीनीकरण** नहीं किया जा सकता के लिए मुफ्त
- लगभग अगले **20 वर्षों** तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता।
- कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों का पास कम्पोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं।
- कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएँ दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कुड़ेदान प्रदान करती हैं।
- **नीलेकुड़ेदान** :- पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक धातुएँ तथा काँच।
- **हरेकुड़ेदान** :- रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं।